झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

तृतीय (मानसून)-सत्र

वर्ग- 01

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक- 30 भाद्र, 1942(श) ....को 21 सितम्बर,2020(ई0)

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01-	अ0सू0-08	श्री सुदिव्य कुमार,	प्रोत्साहन भत्ता देना	ग्रामीण विकास	16/09/20
02-	अ0सू0-23	श्री भूषण बाड़ा,	खड़िया भाषा को को आठवीं अनुसूचि में जोड़ना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	16/09/20
03-	अ0सू0-13	डॉ0 इरफान अंसारी,	योजना पूर्ण कराना।	नगर विकास एवं आवास	16/09/20
04-	अ0सू0-32	श्री भूषण बाड़ा,	नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	16/09/20
05-	अ0सू0-14	डॉ0 सरफराज अहमद,	पथ का मरम्मति कराना।	ग्रामीण विकास	16/09/20
06-	अ0सू0-33	श्री नलिन सोरेन,	पुल का निर्माण कराना।	ग्रामीण विकास	16/09/20
07-	अ0सू0-19	श्री बंधु तिर्की,	मुकदमा वापस लेना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	16/09/20
08-	अ0सू0-17	श्री समीर कुमार मोहन्ती,	दर संशोधन कराना	नगर विकास एवं आवास	16/09/20

1.	2.	3.	4.	5.	6.
09-	अ0सू0-20	श्री अमर कुमार बाउरी,	निदेश का अनुपालन कराना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	16/09/20
10-	अ0सू0-27	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	पथ का मरम्मति कराना।	ग्रामीण विकास	16/09/20
11-	अ0सू0-10	श्री अमित कुमार मंडल	आरक्षी के पद पर नियुक्ति।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	16/09/20
12-	अ0सू0-01	श्री प्रदीप यादव	वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कराना।	योजना सह वित्त	16/09/20
13-	अ0सू0-25	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	जलापूर्ति योजना चालू कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	16/09/20
14-	अ0सू0-34	श्री निरल पूर्ति	"हो" भाषा को आठवी अनुसूचि में शामिल कराना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	16/09/20
15-	अ0सू0-16	श्री समीर कुमार मोहन्ती	सड़क की मरम्मति	पथ निर्माण	16/09/20
16-	अ0सू0-22	श्री दीपक बिरूआ,	प्राथमिक वापस लेना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	16/09/20
17-	अ0सू0-11	श्री अमित कुमार मंडल	कार्रवाई करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	16/09/20
18-	अ0सू0-26	श्री सुदेश कुमार महतो	नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	16/09/20
19-	अ0सू0-24	श्री दशरथ गागराई	पथ का निर्माण करना।	पथ निर्माण	16/09/20
20-	अ0सू0-07	श्री सरयू राय	बिजली कनेक्शन जोड़ना।	नगर विकास एवं आवास	16/09/20

कृ0पृ030-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
21-	अ0सू0-03	श्री विनोद कुमार सिंह	नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कराना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	16/09/20
22-	अ0सू0-04	डॉ0 लम्बोदर महतो	प्रस्ताव में संशोधन	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	16/09/20
23-	अ0सू0-21	श्री बन्धु तिर्की	सेवा स्थानान्तरित कराना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	16/09/20
24-	अ0सू0-05	श्री सरयू राय	ठोस कार्रवाई कराना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	16/09/20
25-	अ0सू0-31	श्री नलिन सोरेन	पथ का निर्माण कराना।	ग्रामीण विकास	16/09/20
26-	अ0सू0-06	श्री नारायण दास	मुखिया के विरूद्ध कार्रवाई।	ग्रामीण विकास	16/09/20
27-	अ0सू0-15	डॉ0 सरफराज अहमद	पथ का मरम्मति	पथ निर्माण	16/09/20
28-	अ0सू0-29	श्री दीपक बिरूवा	पुलिया का निर्माण।	पथ निर्माण	16/09/20
29-	अ0सू0-02	श्री कमलेश कुमार सिंह	सेवा नियमित करना।	ग्रामीण विकास	16/09/20
30-	अ0सू0-30	श्री बुलू महतो	निष्पक्ष जाँच कराना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	16/09/20
31-	अ0सू0-28	श्री राजेश कच्छप	प्रोन्नति के संबंध में।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	16/09/20
32-	अ0सू0-09	श्री किशुन कुमार दास	वेतन एवं सुविधा प्रदान करना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	16/09/20
33-	अ0सू0-12	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	उद्योग स्थापित कराना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	16/09/20
34-	अ0सू0-18	श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता	सुविधा देना	ग्रामीण विकास	16/09/20

रॉंची
दिनांक- 21 सितम्बर, 2020(ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

कृ0पृ030 -

ज्ञापांक सं0- प्रश्न- 02/20...1631.../वि0स0, राँची, दिनांक- 18/09/2020

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुरेश 18.9.20

(सुरेश रजक)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक सं0- प्रश्न- 02/20...1631.../वि0स0, राँची, दिनांक- 18/09/2020

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 18.9.20

अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक सं0- प्रश्न- 02/20...1631.../वि0स0, राँची, दिनांक- 18/09/2020

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 18.9.20

अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

18/09/20

(1)

माननीय स०वि०स० श्री सुदिव्य कुमार द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पूछा जाने वाला प्रश्न अ०सू०– 08 की सूचना से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों की नियुक्ति विभागीय संकल्प संख्या– 1603 दिनांक 20.05.2016 की कंडिका– 4 तथा विभागीय ज्ञापांक 2404 दिनांक 03.08.2016 के आलोक में की गयी थी, लेकिन प्रावधानानुसार इन सेवकों को अब तक देय प्रोत्साहन की राशि नहीं दी जा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या– 1603 दिनांक 20.05.2016 की कंडिका– 1 के क्रम में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। चयनित पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों को उनके द्वारा किए गए कार्य के विरूद्ध प्रावधान के अनुसार प्रोत्साहन/सम्मान राशि दी जाती है।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों को देय प्रोत्साहन भत्ता देना चाहती है, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों से विभिन्न विभागों द्वारा पंचायत स्तर पर कार्य लिया जाता है। कार्य लिए जाने की स्थिति में प्रावधान के अनुसार कार्य लेने वाला विभाग प्रोत्साहन राशि का निर्धारण करता है तथा तदनुसार भुगतान करता है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0)– 105/2020 ......1502......../, राँची, दिनांक :– 18.9.2020

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 65 दिनांक 17.09.2020 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9/20
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0)– 105/2020 ......1502......../, राँची, दिनांक :– 18.9.2020

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

18/9/20
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0)– 105/2020 ......1502......../, राँची, दिनांक :– 18.9.2020

प्रतिलिपि:– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/9/20
सरकार के उप सचिव।

सुनिता/18.09.2020

E:\Sunita\Madhav sir Related\Vidhan Sabha Related\Question & Answer.docx

(02)

श्री भूषण बाड़ा, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–23 का उत्तर

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार ने कुड़ुख, हो, मुण्डारी, संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु अभियाचना केन्द्र सरकार को भेजी है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित भाषाओं के अलावे "खड़िया" भाषा भी बहुतायक में है जिसका प्रभाव क्षेत्र राज्य के सिमडेगा, कोलेबिरा, गुमला तथा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम, अंडमान–निकोबार द्वीप समूह तक है;	झारखण्ड राज्य में खड़िया बोलनेवालों की कुल संख्या– 1,40,148 है जो कुल आबादी का–0.424 प्रतिशत है।
3	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–2 में वर्णित खड़िया भाषा में पठन–पाठन स्कूल–कॉलेज से University स्तर पर हो रहा है तथा नौकरियों में भी खड़िया अभ्यर्थियों को आरक्षण प्राप्त है;	प्राथमिक शिक्षकों तथा सुरक्षा बलों की नियुक्ति में अन्य भाषाओं के साथ राँची, गुमला, सिमडेगा तथा खूँटी जिले में खड़िया को भी नियुक्ति हेतु जिलावार जनजातीय भाषा को परीक्षा के विषय के रूप में शामिल किया गया है, जिसका लाभ खड़िया भाषा–भाषियों को मिल रहा है साथ–ही–साथ झारखण्ड लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में अन्य भाषाओं के साथ खड़िया भाषा को भी सम्मिलित किया गया है। नौकरियों में भाषा के आधार पर किसी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खड़िया भाषा को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार राज्य की सभी भाषाओं के प्रति संवेदनशील है तथा सभी भाषाओं को यथायोग्य सम्मान देने हेतु कृतसंकल्प है। सम्प्रति इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

ज्ञापांक–राजभाषा/वि0स0–23/2020/4692/रा० राँची, दिनांक 18 सितम्बर, 2020

प्रति, अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं. 1613 वि.स., दिनांक–16.09.2020 के आलोक में 250 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.9.2020

(सतीश कुमार जायसवाल)
सरकार के संयुक्त सचिव

(03) (2)

डॉ इरफान अंसारी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–13 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि देवघर जिला अन्तर्गत मधुपूर में जलापूर्ति योजना का कार्य कराया जा रहा है जिसकी प्राक्कलीत राशि 65 करोड़ है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है, कि उक्त योजना का संवेदक पूरे शहर के नाली में पाईप डालकर बंद कर दिया है, जिससे शहर की स्थिति अस्त व्यस्त हो गई है ;	अस्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है, कि उक्त योजना का शहर के दक्षिणी छोर में जलमिनार नहीं बना है और ना ही स्थल चयन किया गया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। शहर के दक्षिणी छोर में जलमिनार एवं जलशोध संयंत्र का निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका है। इसके निर्माण हेतु स्थल का चयन कर भूमि हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग से प्रापत करने की कार्रवाई की गई है। शीघ्र ही अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने की सम्भावना है। तदोपरान्त जलमीनार एवं जलशोध संयंत्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
4.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त संवदेक का एकरारनामा को रदद करते हुए पुनः निविदा निकालकर योजना पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	खण्ड–3 में स्थिति वर्णित है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5 / वि०स० / अल्पसूचित–05 / 2020 / न०वि०आ० 2298 राँची, दिनांक–19/09/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–1602 वि०स०, दिनांक–16.09.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19-09-2020

सरकार के अवर सचिव।

(04)

श्री भूषण बाड़ा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 32 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि विज्ञापन सं0–03/2019 के माध्यम से जे0एस0एस0सी0 द्वारा राज्य सरकार की विनिन्न विभागान्तर्गत भिन्न–भिन्न पदों यथा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी– 362, BSO-223, BWO- 139, CI-सह कानूनगो– 170, सहकारिता प्र0 पदा0– 241 एवं प्लानिंग असिस्टेंट–05 कुल– 1140 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया था, परन्तु आज तक वर्णित नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। झारखण्ड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2019 से संबंधित विज्ञापन संख्या–03/2019 की संशोधित विवरणिका के अनुसार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 362, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के 223, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी के 139, अंचल निरीक्षक–सह– कानूनगो के 170, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के 241, प्लानिंग असिस्टेंट के 05 एवं प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के 120 पदों, अर्थात कुल–1260 रिक्त पदों हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।
2.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित नियुक्ति प्रक्रिया Pending रहने के कारण राज्य के शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों के उम्र सीमा समाप्त हो रही है जिसके कारण उनमें घोर निराशा व्याप्त है ;	अस्वीकारात्मक। उपर्युक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आवेदन करते समय अभ्यर्थियों की आयु अधिकतम आयु सीमा हेतु मानी जाएगी।
3.	यह उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार राज्यहित में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या–5938 दिनांक–14.07.2016 के द्वारा राज्य की नियोजन नीति परिचालित की गई, जिसके अनुसार भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची की पारा–5 के उप पारा (1) में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के 13 जिलों तथा साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला–खरसावां को अनुसूचित जिला घोषित किया गया तथा इन जिलों के मात्र स्थानीय निवासी ही अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के कालावधि के लिए संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला सम्वर्ग के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भुत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र बनाये गये। 2. अधिसूचना संख्या–5938 दिनांक–14.07.2016 के क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3854 दिनांक–01.06.2018 के द्वारा

		हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर एवं गोड्डा में जिला स्तर के वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु अगले 10 वर्षों तक मात्र संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना गया। साथ ही झारखण्ड राज्य में वर्ग 3 एवं 4 के सभी राज्य स्तरीय पदों पर भविष्य में होने वाली नियुक्तियों हेतु मात्र झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना गया। संकल्प संख्या–8468 दिनांक–20.11.2018 द्वारा अधिसूचना संख्या–5938 दिनांक–14.7. 2016 एवं संकल्प संख्या–3854 दिनांक–01.06.2018 में जहाँ कहीं भी "वर्ग 3 एवं वर्ग 4" अथवा "तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी" शब्द समूह का प्रयोग किया गया है उसे "समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग एवं घ" से प्रतिस्थापित किया गया। 3. प्रश्नगत परीक्षाओं का विज्ञापन प्रकाशन उपर्युक्त नियोजन नीति के प्रावधानानुसार ही किया गया है। 4. इसी क्रम में याचिका संख्या–W.P.(C) N0-1387/2017 सोनी कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य संलग्न वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–18.09.2019 को पारित न्यायादेश के माध्यम से कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या–5938 दिनांक–14.07.2016 का कार्यान्वयन स्थगित करते हुए मामले को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के Larger Bench को भेजा गया है। संबंधित मामला वर्तमान में Larger Bench के समक्ष न्यायाधीन है। 5. उक्त न्यायादेश का आयोग के परीक्षाओं पर प्रभाव के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उक्त याचिका में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय आने की प्रतीक्षा किए जाने का परामर्श दिया गया है। अतः वर्तमान में परीक्षा के आयोजन की कार्रवाई स्थगित है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0रा0–06–13/2020 का0 4695 /राँची दिनांक– 20 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1609 दिनांक–16.09.2020 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राज कुमारी) 20/9/2020
सरकार के अवर सचिव।

05

दिनांक–21.09.2020 को माननीय स०वि०स० डॉ0 सरफराज अहमद द्वारा सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–14

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	डॉ0 सरफराज अहमद, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह मधुपुर स्टेट हाई वे के फीटकोरिया मोड़ से पतरोडीह होते हुए महेशमुंडा पथ काफी जर्जर स्थिति में है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के जर्जर स्थिति में होने के कारण आवागमन में काफी असुविधा होती है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ की मरम्मति करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–282/2020 ग्रा0का0मा0 1400 राँची/दिनांक–19.09.2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1596, दिनांक–16.09.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.9.2020
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–282/2020 ग्रा0का0मा0 1400 राँची/दिनांक–19.09.2020

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19.9.2020
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–282/2020 ग्रा0का0मा0 1400 राँची/दिनांक–19.09.2020

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्यमामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19.9.2020
सरकार के अवर सचिव।

(06)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–33

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है, कि दुमका जिला का प्रखंड शिकारीपाड़ा अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र है, तथा यहाँ के अधिकतम आबादी का मुख्य पेशा खेती किसानी व मजदूरी है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि प्रखंड शिकारीपाड़ा अन्तर्गत बांकीपुर खरबोना से बड़जोल के बीच दरका नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण अबतक नहीं कराया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है, कि पुल के अगल–बगल 20–25 गाँव/टोला अवस्थित है तथा झारखण्ड के पं0बंगाल के सीमा पर होने के कारण सीधा सम्पर्क व आवागमन में ग्रामीणों को प्रखण्ड मुख्यालय/जिला मुख्यालय से सम्पर्क में काफी कठिनाई झेलना पड़ता है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मा0स0वि0स0 से प्रश्नांकित पुल की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–94/2020/ग्रा0का0 1402 राँची, दिनांक– 19.09.2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–51 वि0स0 दिनांक–17.09.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.9.2020
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–94/2020/ग्रा0का0 1402 राँची, दिनांक– 19.09.2020

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19.9.2020
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– 7 (वि0स0)–94/2020/ग्रा0का0 1402 राँची, दिनांक– 19.09.2020

प्रतिलिपि:– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19.9.2020
सरकार के अवर सचिव

श्री बंधु तिर्की, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–19 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि महेन्द्र उराँव एवं ग्रामीणों, ग्राम–पुरती अरमू, प्रखण्ड–गारू, जिला– लातेहार को गारू थाना काण्ड संख्या–28/20 के अंतर्गत धाराएँ–147, 149, 186, 189, 270, 307, 323, 342, 324, 341, 353, 379, 504, 506, I.P.C के तहत् अभियुक्त बनाया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि महेन्द्र उराँव एवं ग्रामीण करम पुर्व संध्या की तैयारी सोसल डिस्टेंसींग का पालन करते हुए कर रहे थे, वहीं गारू थाना प्रभारी द्वारा वर्दी और अपने पद का दुरूपयोग करते हुए बेवजह अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग, मारपीट, महिलाओं का अपमान तथा कुछ ग्रामीणों को रात 12 बजे गिरफ्तार किया गया ;	अस्वीकारात्मक। प्रश्नगत काण्ड में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गयी है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मामले की गम्भीरता को देखते हुए थाना प्रभारी पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के तहत् आवश्यक कार्रवाई करते हुए निलम्बित कर जांच समिति का गठन करने तथा उपर्युक्त सभी I.P.C धारा के आधार पर लगाये गये झूठे आरोप पर मुकदमा वापस लेने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत काण्ड सम्प्रति अनुसंधानन्तर्गत है। अनुसंधानोपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–11/2020–3443./ राँची, दिनांक– 30/09/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1587, दिनांक–16.09.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/9/2020

सरकार के संयुक्त सचिव।

(8)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–17 का उत्तर प्रतिवेदन

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि भवन निर्माण के लिए नक्शा बनवाने हेतु नगर पंचायत क्षेत्र में लेबर सेस, आवेदन शुल्क (Application Fee) परामर्श शुल्क (Consultancy Fee) के रूप में क्रमशः 14 रू० प्रति वर्ग मीटर, 2200 रू० प्रति 1000 वर्ग मीटर एवं 8000–10000 रू० प्रति 1000 वर्ग मीटर की दर से पैसे लिए जाते हैं;</td><td>अस्वीकारात्मक है।
1. भवन परमिट शुल्क निम्नवत् है :–
Residential buildings up to 500sqm. permit Fees-Rs. Per sqm.
<table>
<tr><th>Sl.</th><th>Height of Building</th><th>Nagar Panchayat</th><th>Municipal Council</th><th>Municipal Corporation/ Development Authorities/ IADA/NAC/ Municipality</th></tr>
<tr><td>(i)</td><td>(ii)</td><td>(iii)</td><td>(iv)</td><td>(v)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>upto 10.0 m</td><td>10.0</td><td>15.0</td><td>20.0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>more than 10 up to 16.4m</td><td>20.0</td><td>25.0</td><td>40.0</td></tr>
<tr><td>3</td><td>More than 16.4 m</td><td>30.0</td><td>35.0</td><td>50.0</td></tr>
</table>
Residential buildings more than 500sqm. permit Fees-Rs. Per sqm
<table>
<tr><th>Sl.</th><th>Height of Building</th><th>Nagar Panchayat</th><th>Municipal Council</th><th>Municipal Corporation/ Development Authorities/ IADA/NAC/ Municipality</th></tr>
<tr><td>(i)</td><td>(ii)</td><td>(iii)</td><td>(iv)</td><td>(v)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>upto 10.0 m</td><td>15.0</td><td>20.0</td><td>30.0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>more than 10 up to 16.4m</td><td>25.0</td><td>35.0</td><td>50.0</td></tr>
<tr><td>3</td><td>More than 16.4 m</td><td>35.0</td><td>45.0</td><td>60.0</td></tr>
</table>
2. लेबर सेस भवन निर्माण करने में लगने वाले कुल लागत का 1% लिया जाता है। कुल लागत की गणना 1400 रू प्रति वर्ग फीट की दर से की जाती है।
यह दर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अन्तर्गत झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है।
परामर्शी शुल्क नगर पंचायत (किसी भी निकाय/ प्राधिकार द्वारा) द्वारा नहीं लिया जाता है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत गाँवों को भी जोड़ा गया है जहाँ रोज कमाने–खाने वाले श्रमिक श्रेणी के लोग निवास करते हैं, जो खण्ड–1 में वर्णित दर चुका कर भवन निर्माण कर पाने में असमर्थ हैं;</td><td>नगर पंचायत गठन की प्रक्रिया में गाँवों को सम्मिलित किया गया है। नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए पूर्व से ही भवन शुल्क की राशि आम गरीब जनता के आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर सापेक्ष रूप (नगर परिषद् एवं नगर निगम से) में कम रखा गया है।
इसी प्रकार पुनः आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ध्यान में रखते हुए 500 वर्ग मीटर तक का अलग से वर्गीकरण कर शुल्क को अन्य की अपेक्षा कम रखा गया है।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार, खण्ड–1 में वर्णित दरों में कटौती करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?</td><td>नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति एवं उसके समग्र विकास के प्रति सरकार की कटिबद्धता के मद्देनजर पूर्व के निर्धारित शुल्क में कटौती किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।</td></tr>
</table>

झारखंड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–05 / वि0स0 / अल्प सूचित–06 / 2020 / न0वि0आ0 2301 राँची, दिनांक– 20/09/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा को उनके ज्ञा0सं0–1589, दि०–16.09.2020 के आलोक में प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कौशल
20-9-2020

सरकार के अवर सचिव

दिनांक–21.09.2020 को माननीय स०वि०स० श्री जय प्रकाश भाई पटेल द्वारा सदन में पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–27

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिलान्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड में पंचायत–बनासो के ग्राम–नावाटाँड़ में हुण्डपताव से लेकर करगालो जारवाटाँड़ तक कालीकरण पथ काफी जर्जर अवस्था में है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि उक्त पथ के जर्जर होने से लोगों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार हुण्डपताव से लेकर करगालो जरवाटाँड़ तक कालीकरण पथ की मरम्मति कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–281 / 2020 ग्रा0का0मा0 1408 राँची / दिनांक– 19.09.2020
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1618, दिनांक–16.09.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–281 / 2020 ग्रा0का0मा0 1408 राँची / दिनांक– 19.09.2020
प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–281 / 2020 ग्रा0का0मा0 1408 राँची / दिनांक– 19.09.2020
प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्यमामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

11

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि टोटल Cognizable क्राइम झारखण्ड में अप्रैल 2020 में 4326, मई 2020 में 5015, जून 2020 में 5488 और जुलाई 2020 में 5630 रही, जिसमें महीने दर महीने बढ़ोतरी हुई ;	स्वीकारात्मक। दर्ज कांडों में वृद्धि पुलिस के संवेदनशील कार्यशैली का परिचायक है। यह इस बात को दर्शाता है कि छोटे से छोटे मामलों को भी पुलिस संज्ञान में लेकर प्राथमिकी दर्ज कर कांड का अनुसंधान करती है एवं पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का कार्य करती है।
2	क्या यह बात सही है कि नक्सलवाद, फिरौती, अपहरण, हत्या और रेप की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। (क) नक्सलवाद : नक्सल कांड माह अप्रैल, 2020 में 19, मई, 2020 में 31, जून, 2020 में 33 एवं जुलाई, 2020 में 29 प्रतिवेदित है। (ख) फिरौती : फिरौती हेतु अपहरण कांड माह अप्रैल, 2020 में शून्य, मई, 2020 में शून्य, जून, 2020 में 06 एवं माह जुलाई, 2020 में 02 प्रतिवेदित है। (ग) अपहरण : सामान्य अपहरण कांड माह अप्रैल, 2020 में 31, मई, 2020 में 60, जून, 2020 में 115 एवं जुलाई, 2020 में 109 प्रतिवेदित है। (घ) हत्या : हत्या के कांड माह अप्रैल, 2020 में 120, मई, 2020 में 144, जून, 2020 में 186 एवं जुलाई, 2020 में 180 प्रतिवेदित है। (ङ) रेप : बलात्कार के कांड माह अप्रैल, 2020 में 104, मई, 2020 में 169, जून, 2020 में 176 एवं जुलाई, 2020 में 141 प्रतिवेदित है। इस प्रकार जून, 2020 की तुलना में जुलाई, 2020 में नक्सलवाद, फिरौती, अपहरण, हत्या और रेप की घटनाओं में कमी आयी है।
3	क्या यह बात सही है कि 2500 सहायक पुलिस के जवानों को 3 वर्ष सेवा के बाद आरक्षी के पद पर सीधी नियुक्ति की जानी थी, जो अब तक नहीं हो पायी है, जिस कारण सहायक पुलिसकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है ;	अस्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना सं०–1169, दिनांक–27.02.2017 द्वारा अधिसूचित सेवाशर्त के अनुसार सहायक पुलिस को आरक्षी के पद पर सीधी नियुक्ति किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नक्सलवाद, और क्राइम को रोकने के लिए सहायक पुलिस के जवानों को आरक्षी के पद पर सीधी नियुक्ति करने की मंशा रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति उपरोक्त कंडिका में स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–06/2020–3445/ रांची, दिनांक– 20/09/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1597, दिनांक–16.09.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० द्वारा प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–01 की उत्तर सामग्री :–

12

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार से GST एवं अन्य हिस्से की राशि झारखण्ड को नहीं मिलने एवं Covid-19 के Lock Down के कारण राज्य का खजाना अच्छी हालत में नहीं है, जिसके कारण ट्रेजरी से निकासी पर रोक लगा दी गई है ?	केन्द्र सरकार से केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, केन्द्रीय सहायता तथा राज्य का अपना राजस्व सहित 31 अगस्त, 2020 तक, विगत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उक्त अवधि की तुलना में 76 % ही राजस्व राज्य को प्राप्त हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि विगत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्ति में 24 % की कमी आई है। GST Compensation के रुप में माह अप्रैल, 2020 से जुलाई, 2020 तक झारखण्ड राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा कुल बकाए राशि रुपये 2481.11 करोड़ का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। वर्तमान समय में COVID 19 महामारी के कारण पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिससे झारखण्ड राज्य भी अछूता नहीं है। इस वित्तीय वर्ष (2020–21) के प्रारम्भ से ही वेतन / मानदेय / संविदा भत्ता तथा व्यावसायिक सेवा, पेंशन, ब्याज भुगतान, ऋण भुगतान, स्वास्थ्य चिकित्सा, कल्याण, खाद्य सार्वजनिक वितरण, महिला बाल विकास, आपदा प्रबंधन, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सभी जन–कल्याण से सम्बन्धित व्यय अनुमत किये गये हैं। इसके साथ ही 14वें एवं 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित राशि के साथ कार्यालय को अनवरत् क्रियाशील बनाये रखने हेतु कुछ कटौती के साथ आवश्यक व्यय में कोई रोक नहीं लगाई गई । कुल मिलाकर वार्षिक बजट (86,370.00 करोड़ रुपये) का 57 प्रतिशत व्यय प्रारम्भ से ही अनुमत है । राजस्व की गहन समीक्षा एवं जन–कल्याण तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने हेतु पुनः केन्द्र प्रायोजित स्कीम (राज्यांश सहित), केन्द्रीय शत्–प्रतिशत् स्कीम, ऋण से आच्छादित सभी स्कीम, प्राधिकार आदि की राशि (लोक–लेखा की रक्षित राशियाँ) का व्यय अनुमत किया गया, जो वार्षिक बजट का 16 प्रतिशत है ।

		राजस्व प्राप्ति की समय–समय पर उच्चस्तरीय समीक्षा की जाती है एवं समीक्षोपरान्त राज्य में पुनः पूँजीगत व्यय को 10 प्रतिशत तक अनुमत किया गया । जिसमें आशातीत व्यय नहीं होने के कारण विभाग से प्राप्त Feed Back के बाद राज्य स्कीम का 25 प्रतिशत व्यय बिना किसी शर्त्त के दिसम्बर, 2020 तक अनुमत किया गया है । मॉनसून को ध्यान में रखते हुए कैम्पा में उपबंधित राशि का व्यय अनुमत किये गये हैं । समय–समय पर विभागों की मांग के अनुरूप राशि व्यय की अनुमति दी जा रही है । प्रयास किया जा रहा है कि राशि के अभाव में राज्य का जन–कल्याण का कार्य बाधित न हो । वर्त्तमान में कुल बजट (86,370.00 करोड़ रुपये) का 78 प्रतिशत व्यय अनुमत है ।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार, राज्य की इस माली हालात से उबरने हेतु ठोस वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रही है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों ?	वित्तीय प्रबंधन और अनुशासन के द्वारा राज्य के पास उपलब्ध संसाधनों से राज्य की आवश्यकताओं को उनकी महत्ता के परिप्रेक्ष्य में पूरा किया जा रहा है । सम्प्रति राज्य के राजस्व में अभिवृद्धि हेतु निम्नांकित कदम उठाए गए है :– 1 झारखण्ड सरकार द्वारा GST Compensation की बकाया राशि रुपये 2481.11 करोड़ की माँग हेतु माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार से पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है। 2 राज्य के राजस्व में वृद्धि हेतु IMFL (शराब) पर प्रचलित दर 50 % को बढ़ा कर 75 % किया गया है। 3 राजस्व हित में पेट्रोल एवं डीजल पर प्रदत्त 2.5 रुपये प्रति लीटर की विमुक्ति को विलोपित किया गया। साथ ही, डीजल पर प्रचलित देय वैट के Base price को 8.37 रुपये से बढ़ा कर 12.5 रुपये किया गया है एवं पेट्रोल पर प्रचलित देय वैट के Base price को 15 रुपये से बढ़ा कर 17 रुपये किया गया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उक्त पदार्थों की कीमतों में गिरावट आने की स्थिति में राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

		4 झारखण्ड वित्तीय, व्यापारो, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर अधिनियम, 2011 को विस्तारित करते हुए झारखण्ड माल और सेवा कर प्रणाली के अंतर्गत आने वाले व्यवसायियों को भी इसमें शामिल किया गया है। 5 महिलाओं के लिए 50 लाख मूल्य तक के विक्रय विलेख पत्र पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क से पूर्ण विमुक्ति संबंधी प्रावधान को वापस ले लिया गया है। 6 नीलाम पत्र वाद में जो राशि सन्निहित है उसे प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे है। 7 **COVID** 19 को ध्यान में रखते हुए **coal bearing land** के लिए **runoff/mining** के **dispatch** पर **covid** 19 **Pandemic cess** लगाया गया है, जिससे राजस्व वृद्धि संभावित है। 8 झारखण्ड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2020 का गठन किया गया जिससे प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति की संभावना है। उक्त से स्पष्ट है कि राशि की उपलब्धता के अनुसार व्यय अनुमत किये गये है। सरकार वित्तीय स्थिति की लगातार समीक्षा कर रही है एवं विपरीत परिस्थिति में स्थिति को नियंत्रित करने हेतु सजग एवं प्रयत्नशील है।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग

—::—

ज्ञापांक :– 10 / वि०स०(4)–29 / 2020 2448/वि० रॉंची दिनांक 19.9.2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रॉंची को 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19.09.2020

(अविनाश कुमार सिंह)
अपर सचिव,
योजना सह वित्त विभाग,
झारखण्ड, रॉंची ।

13

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–25 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग शहर से 50 किलोमीटर दूर विष्णुगढ़ प्रखण्ड स्थित कोनार डैम से शहरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति योजना जुडको के अधीन एल० एण्ड० टी० कम्पनी के द्वारा कराई जा रही है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है, कि कोनार डैम जलापूर्ति योजना से प्रभावित ग्रामों–गरहमुर्गी, बनासो, कुसुम्भा, करहमोरिया, नवादा, बकसपुरा, विष्णुगढ़ एवं भेलवारा इत्यादि के स्थानीय लोगों को इस महत्वाकांक्षी जलापूर्ति योजना से वंचित किया जा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। हजारीबाग शहरी जलापूर्ति योजना हेतु कोनार डैम से जल लाने के क्रम में रास्ते में पडने वाले गाँवो में Raw Water देने का प्रावधान किया गया है। फलस्वरूप प्रश्नगत गाँवों में से बनासो, नवादा, विष्णुगढ़ तथा भेलवारा गाँव में Raw Water की आपूर्ति की जायेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार खण्ड–2 में वर्णित ग्रामों में कोनार डैम जलापूर्ति योजना से पानी कनेक्शन दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–5 / वि०स० / अल्पसूचित–07 / 2020 / न०वि०आ० 2302 राँची, दिनांक– 20/09/2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को अल्पसूचित प्रश्न संख्या–25 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20-09-2020

सरकार के अवर सचिव।

D_rk_Rajesh_2020_Vidhan Sabha Question_89

श्री निरल पुरती, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–34 का उत्तर

(14)

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य में "हो" भाषा एक गौरवशाली व समृद्ध भाषा है जिसका संरक्षण एवं संवर्धन हेतु महती प्रयास नहीं किया गया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार के स्तर पर निर्णय लिये जाने के बावजूद आजतक "हो" भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है जिसके कारण इस प्राचीन व दुर्लभ भाषा का अस्तित्व खतरे में है ;	किसी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का विषय भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। झारखण्ड सरकार द्वारा "हो" भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार खण्ड–1, एवं 2 में वर्णित विषय की गम्भीरता के मद्देनजर "हो" भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	यथा उपर्युक्त कंडिका–2 में वर्णित।

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

ज्ञापांक–राजभाषा/वि०स०–22/2020/4671/रा० राँची, दिनांक 18 सितम्बर, 2020

प्रति, अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं. 1610 वि.स., दिनांक–16.09.2020 के आलोक में 250 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.9.2020

(सतीश कुमार जायसवाल)
सरकार के संयुक्त सचिव

(15)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–'अ०सू०–16' का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
संख्या–अ०सू०–16. क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि NH-18 का निर्माण कार्य विगत सात वर्षों से चल रहा है तथा अभी निर्माण कार्य अधूरा है ;	प्रश्नगत पथ NH-18 है। यह भारत सरकार की सम्पत्ति है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार (NHAI) के द्वारा NH-18 का कार्य विभिन्न पैकेजों में किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार, राँची के सूचनानुसार क्षेत्रीय कार्यालय–रांची के अन्तर्गत आने वाले पैकेज की विवरणी निम्नवत है :– 1. **राजगंज से पश्चिम बंगाल/झारखण्ड सीमा तक [Old NH-32 (New NH-18)]** के चौड़ीकरण का कार्य वर्ष 2016 में संवेदक को आवंटित किया गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। 2. **चांडील से महुलिया तक के चौड़ीकरण का कार्य [Old NH-33 (New NH-18)]** – राँची–चांडील– महुलिया खण्ड का कार्य वर्ष 2012 में मेसर्स मधुकॉन लिमिटेड को दिया गया था। समय पर कार्य नहीं करने के कारण **Concession Agreement** को **Terminate** कर दिया गया था एवं उक्त खण्ड के बचे हुए कार्य को पूर्ण करने हेतु कार्य को चार भागों में बाँट कर वर्ष 2019 में विभिन्न संवेदकों को कार्य आवंटित किया गया है। 3. **महुलिया से बहरागोड [Old NH-33 (New NH-18)] एवं बहरागोड से बंगाल/झारखण्ड सीमा** तक का कार्य वर्ष 2016 में अवार्ड किया गया था तथा इस खण्ड का कार्य वर्ष 11.10.2019 में पूर्ण कर लिया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि NH-18 पर निर्मित या निर्माणाधीन अंडर–पास के दोनों किनारे सर्विस रोड बनाया गया है ;	1. राजगंज से पश्चिम बंगाल/झारखण्ड सीमा तक के खण्ड में Contract Agreement के अनुसार सर्विस रोड का प्रावधान नहीं है। 2. **चांडील से महुलिया तक के चौड़ीकरण का कार्य** – कार्य प्रगति पर है। आवश्यकतानुसार एवं जमीन की उपलब्धता के आधार पर सर्विस पथ का निर्माण किया जा रहा है। 3. **महुलिया से बहरागोड [Old NH-33 (New NH-18)] एवं बहरागोड से बंगाल/झारखण्ड सीमा** तक का कार्य वर्ष 2016 में अवार्ड किया गया था तथा इस खण्ड का कार्य वर्ष 11.10.2019 में पूर्ण कर लिया गया है।

3. क्या यह बात सही है कि सर्विस रोड का कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण कुछ ही दिनों में टूट कर पूरी तरह से जर्जर हो गए है जिसके कारण आए दिन दुर्घनाएँ घटती रहती है, तथा ट्राफिक जाम की समस्याएँ उत्पनन हो रही है ;	क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार, राँची के सूचनानुसार महुलिया से बहरागोड़ [Old NH-33 (New NH-18)] एवं बहरागोड़ से बंगाल/झारखण्ड सीमा तक के सर्विस रोड का कार्य नियमानुसार गुणवत्तापूर्वक किए जाने की सूचना दी गई है। Contract Agreement के अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न होने के चार साल बाद तक खण्ड के Operation & Maintenance का कार्य संवेदक के द्वारा किया जाना है। खण्ड में किसी प्रकार के Repair & Maintenance की आवश्यकता होने पर ठेकेदार के द्वारा स्थल की मरम्मती की जाती है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार, उक्त सर्विस रोडों की मरम्मतीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–09/2020 2247 (S) राँची/दिनांक : 20/09/2020
प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1591 दिनांक 16.09.2020 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/2020

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री दीपक बिरूवा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

16

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में 5 वर्षों के दौरान पारा शिक्षकों की ओर से अपनी मांगो को लेकर विभिन्न ०कार का धरना प्रदर्शन किया जाता रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रदर्शन के दौरान प्रशासन द्वारा आन्दोलनकारी पारा शिक्षकों व उनके संघ के खिलाफ राज्य के विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में आन्दोलनकारी पारा शिक्षकों के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति आन्दोलनकारी पारा शिक्षकों के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने संबंधी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10 / वि०स०–707 / 2020– 3455 / रांची, दिनांक– 30/09/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1616, दिनांक–16.09.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/9/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

(17)

1005
19/09/2020

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–11 की उत्तर सामग्री

क्रमांक	प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार मंडल माननीय सदस्य विधानसभा	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है, कि सीएमआइई के आंकड़ो के आधार पर राज्य में बेरोजगारी की दर (प्रतिशत) जुलाई 2020 में 7.6 प्रतिशत थी वही अगस्त 2020 में यह आँकड़ा बढ़कर 9.8 प्रतिशत हो गया, जबकि पूरे देश में जुलाई 2020 में ये आँकड़ा 7.4 प्रतिशत था और अगस्त में ये झारखण्ड के दर से 1.4 प्रतिशत नीचे था;	सीएमआइई के आंकड़ों के आधार पर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड में अबतक जेपीएससी/जेएसएससी की परीक्षा नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रही है;	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से संबंधित है।
3	क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार द्वारा जेटेट 2016 के अभ्यार्थियों के लिए परीक्षा का संचालन नहीं हो पाने के कारण कई अभ्यार्थियों की उम्र सीमा समाप्ति के कगार पर है;	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से संबंधित है।
4	क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार ने राज्य में कार्यरत निजी कम्पनियों के नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा अबतक लागू नहीं हो पायी है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में नौकरी हेतु स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने से संबंधित विधेयक प्रारूप माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त उक्त विधेयक प्रारूप की विधिक्षा हेतु संबंधित सचिवा विधि विभाग को भेजी गई है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2, 3, 4 के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने की मंशा रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	—

19/9/20

(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक 01/श्र०नि०प्र०(वि०स०) 03 48/2018श्र०नि० 1005 राँची, दिनांक– 19/09/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–1588 दिनांक–16.09.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/9/20

सरकार के संयुक्त सचिव

E:\Son\Rahul\Vidhan Sabha\03-48-2020.docx

(18)

श्री सुदेश कुमार महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 26 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं0–01/2017 (रेगुलर रिक्ति) एवं 02/2017 (बैकलॉग रिक्ति) के तहत् ली गई पंचायत सचिव परीक्षा की अंतिम मेधा सूची अबतक प्रकाशित नहीं हुई है,	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि प्रमाण पत्रों की जाँच करने के बाद भी सूची प्रकाशित नहीं होने से 3088 अभ्यार्थियों को भविष्य अधर में फंसा है ;	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उत्पाद आरक्षी और विशेष शाखा आरक्षी के लिए परीक्षा सम्पन्न हुए साल भर हो गए, लेकिन परिणाम (रिजल्ट) अबतक नहीं निकला है;	स्वीकारात्मक
4.	यह उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पंचायत सचिवों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने तथा उत्पाद आरक्षी और विशेष शाखा आरक्षी का परीक्षा परिणाम घोषित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या–5938 दिनांक–14.07.2016 के द्वारा राज्य की नियोजन नीति परिचालित की गई, जिसके अनुसार भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची की पारा–5 के उप पारा (1) में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के 13 जिलों यथा साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला–खरसावां को अनुसूचित जिला घोषित किया गया तथा इन जिलों के मात्र स्थानीय निवासी ही अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 10 वर्षों के कालावधि के लिए संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला सम्वर्ग के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भुत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र बनाये गये। 2. अधिसूचना संख्या–5938 दिनांक–14.07.2016 के क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3854 दिनांक–01.06.2018 के द्वारा राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों यथा पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर एवं गोड्डा में जिला स्तर के वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु

		अगले 10 वर्षों तक मात्र संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना गया। साथ ही झारखण्ड राज्य में वर्ग 3 एवं 4 के सभी राज्य स्तरीय पदों पर भविष्य में होने वाली नियुक्तियों हेतु मात्र झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना गया। संकल्प संख्या–8468 दिनांक–20.11.2018 द्वारा अधिसूचना संख्या–5938 दिनांक–14.7.2016 एवं संकल्प संख्या–3854 दिनांक–01.06.2018 में जहाँ कहीं भी "वर्ग 3 एवं वर्ग 4" अथवा "तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी" शब्द समूह का प्रयोग किया गया है उसे "समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग एवं घ" से प्रतिस्थापित किया गया। 3. प्रश्नगत परीक्षाओं का विज्ञापन प्रकाशन उपर्युक्त नियोजन नीति के प्रावधानानुसार ही किया गया है। 4. इसी क्रम में याचिका संख्या–W.P.(C) No-1387/2017 सोनी कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य संलग्न वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–18.09.2019 को पारित न्यायादेश के माध्यम से कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या–5938 दिनांक–14.07.2016 का कार्यान्वयन स्थगित करते हुए मामले को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के Larger Bench को भेजा गया है। संबंधित मामला वर्तमान में Larger Bench के समक्ष न्यायाधीन है। 5. उक्त न्यायादेश का आयोग के परीक्षाओं पर प्रभाव के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उक्त याचिका में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय आने की प्रतीक्षा किए जाने का परामर्श दिया गया है। अतः वर्तमान में परीक्षा का आयोजन एवं परीक्षाफल प्रकाशन की कार्रवाई स्थगित है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11 / वि0स0–06–12 / 2020 का0 4696 / राँची, दिनांक– 20 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1611 दिनांक–16.09.2020 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

श्री दशरथ गागराई, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–'अ0सू0–24' का उत्तर प्रतिवेदन ।

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
संख्या:–अ0सू0–24, क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि पथ प्रमण्डल सरायकेला अन्तर्गत खरसावां से रड़गांव पथ का निर्माण कार्य 8 वर्षों से लंबित है ; 2. क्या यह बात सही है, कि उपरोक्त पथ निर्माण में विलंब होने से ग्रामीण को आवागमन में परेशानी हो रही है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उपर वर्णित पथ निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त परियोजना का नाम–खरसावाँ–हुरान्दा– कांडेरकुटी (रांगामाटी) रड़गाँव (NH-33 पर) पथ के कि0मी0 0.00 से 29.407 का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य है। वर्तमान में कुल 90 प्रतिशत प्रगति हासिल की जा चुकी है, जबकि लगभग 50 प्रतिशत बिटूमिनस कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नवंबर माह, 2020 तक कार्य पूर्ण कराने का पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित है। धीमी प्रगति के लिए विभाग द्वारा संवेदक को debar किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिक दायर की गई, जिसमें संवेदक के पक्ष में न्यायादेश प्राप्त हुआ है। उक्त न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में Civil Review Petition दायर किया गया है। यह मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। मान्नीय उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–10 / 2020 2246(5) राँची / दिनांक : 20/09/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1606 दिनांक 16.09.2020 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/2020
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

20

श्री सरयू राय, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–07 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर की मोहरदा पेयजलापूर्ति परियोजना का परिचालन एवं मरम्मत कार्य करने के लिए सरकार और टाटा स्टील की कम्पनी "जुस्को" के बीच वर्ष 2017 में एक समझौता हुआ है, जिसके अनुसार सरकार द्वारा स्थापित मोहरदा जलापूर्ति परियोजना की संरचनाओं का विस्तार एवं पुनरूद्धार कार्यों पर 60 प्रतिशत राशि जुस्को को और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को खर्च करना है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि परियोजना के पुनरूद्धार एवं विस्तार के संबंध में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिये जुस्को की विद्युत लाईन को परियोजना स्थल तक ले जाने का काम पूरा हो गया है, परन्तु झारखण्ड विद्युत वितरण निगम द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं देने के कारण अभी तक जुस्को का विद्युत कनेक्शन, परियोजना के पम्पिंग स्टेशन के साथ जोड़ा नहीं गया है;	स्वीकारात्मक। हाँ यह बात सही है कि जुस्को के द्वारा विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था लाईन को परियोजना स्थल तक ले जाने का कार्य पूरा किया गया है परन्तु झारखण्ड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को बकाया विद्युत विपत्र राशि रु० 1,41,22,050/– मात्र का भुगतान जुस्को द्वारा नहीं किये जाने के कारण झारखण्ड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा विद्युत संयोजन हेतु अनापत्ति प्रदान नहीं किया गया है। इस हेतु ऊर्जा विभाग से समन्वय किया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य विद्युत वितरण निगम के बिजली बिल का भुगतान जुस्को द्वारा नहीं करने और जुस्को की बिजली वितरण व्यवस्था का कनेक्शन मोहरदा पेयजलापूर्ति संरचना से नहीं जोड़े जाने के कारण जलापूर्ति में अवसर व्यवधान होते रहता है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मोहरदा पेयजलापूर्ति परियोजना के सुचारू संचालन के लिये संचालन संरचना के साथ जुस्को की बिजली का कनेक्शन जोड़ने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–5/वि०स०/अल्पसूचित–04/2020/न०वि०आ० 2299 राँची, दिनांक– 20/09/2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–1600 वि०स०, दिनांक–16.09.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20-09-20

सरकार के अवर सचिव।

D_ rk _Rajesh_2020 _Vidhan Sabha Question_86

1001
18-09-2020

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-21.09.2020 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं०-03 की उत्तर सामग्री

क्रमांक	प्रश्नकर्ता श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय सदस्य विधानसभा	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में दो लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं;	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से संबंधित है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त पदों की योग्यता रखने वाले शिक्षित-प्रशिक्षित युवा बेरोजगार उपलब्ध हैं;	राज्य के नियोजनालयों में दिनांक-18.09.2020 तक कुल निबंधित बेरोजगारों की संख्या-726446 है।
3	क्या यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार, राज्य में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	—

18/9/20

(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक-01/श्र०नि०प्र०(वि०स०)-03-47/2018श्र०नि०-1001 राँची, दिनांक- 18-09-2020

प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं0-1593, दिनांक-16.09.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/9/20

सरकार के संयुक्त सचिव

E:\Sanl\Rahul\Vidhan Sabha\03-47-2020.docx

(22)

डॉ० लम्बोदर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–04 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार द्वारा अभी कुल– 36 जातियों को केन्द्रीय ओ०बी०सी० सूची में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है;	स्वीकारात्मक। भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव, पत्रांक–4194, दिनांक–28.08.2020 की प्रति संलग्न है।
2	क्या यह बात सही है, कि उक्त प्रस्ताव में कई जातियाँ ऐसी है, जो पूर्व से ही भारत सरकार द्वारा घोषित केन्द्रीय ओ०बी०सी० सूची में शामिल है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार को ऐसी जातियों को केन्द्रीय ओ०बी०सी० सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जो पूर्व से केन्द्रीय ओ०बी०सी० सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केन्द्र सरकार को भेजे गया प्रस्ताव में संशोधन करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 2 की वस्तुस्थिति के आलोक में कोई औचित्य नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा०वि०स०–07–33 / 2020 का०– 4680(अ०सू०) रांची, दिनांक 18/09/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०–प्र०–1594 वि०स०, दिनांक–16.09.2020 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/09/2020

(अरूण कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

Letter No.-14/Vi.Vi.Pa.-10-02/2019 Ka...... 4194 (का०)

Government of Jharkhand

Department of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha

Project Bhawan, Dhurwa, Ranchi-834004

e-mail-dopjharkhand@gmail.com

From,

Vandana Dadel,
Secretary to the Govt.

To,

Secretary,
Ministry of Social Justice and Empowerment,
Government of India
Shastri Bhawan, New Delhi-110011

Ranchi, Dated ....28|08|2020

Sub:- Regarding inclusion of different castes of Jharkhand in the Central list of OBC.

Sir,

This is with reference to enlisting of some backward castes of Jharkhand into the Central list of OBC. These castes (list enclosed) have already been notified as Backward caste-Schedule 1 and Backward Caste-Schedule 2 for the purpose of exteding benefits of reservation in admission to educational institutions and/or appointment in governement jobs in Jharkhand.

However, the corresponding enlisting of these castes into the Central list of OBC is still awaited. Their enlisting in Central OBC list will confer opportunity to these backward classes to have representation in the Central Govt. jobs and in the central educational institutions.

It is, therefore, requested to include the castes mentioned in the enclosed list in the Central list of OBC.

This issues with the approval of competent authority.

Thanking you.

Enclosure : As above.

Yours Sincerely,

27.8.2020

(Vandana Dadel)
Secretary to the Govt.

OBC की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु मामले

क्र. सं0	सूची क्रमांक	वैसी जातियां जो झारखण्ड राज्य की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1)/ पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 2) सूची में सूचीबद्ध हैं किन्तु केन्द्रीय सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं।	
अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1)			
1	6.	कुड़मी	Kudmi
2	11.	माहिस्य	Mahisya
3	27.	मगदा–गौड़/महाकुड़/गोप, ग्वाला (पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला–खरसावां जिलों के लिए)	Magda Gour/ Mahakur / Gope, Guwala (For Districts East Singhbhum, West Singhbhum & Saraikcla- Kharsawan only)
4	30.	चन्द्रवंशी/रवानी (कहार)	Chandrabanshi/Rwani (Kahar)
5	44.	हजाम	Hajam
6	51.	बारी	Bari
7	56.	बागची	Bagchi
8	88.	राजभट (मुस्लिम)	Rajbhat (Muslim)
9	93.	शाह, फकीर, मदार, देवान	Shah, Fakir, Madar, Dewan
10	94.	शेख	Shekh
11	97.	कुम्हार/कुम्भकार	Kumhar/Kumbhar/Kumbhkar
12	99.	सोय	Soy
13	106	तिलि/एकादश तिलि /द्वादश तिलि/ एकादश तेली/ द्वादश तेली	Tili/Ekadash Tili/ Dwadesh Tili/ Ekadash Teli/Dwadesh Teli
14	113	बागाल/खण्डवाल(खन्डवाल/ खन्डुआल/खुन्डवाड़/खण्डईत/ खण्डाईत/खन्डाईत/खन्डाइत/ खंडाईत/खन्डइत/खंडयत/ खन्डायत/खण्डाएत/खण्डाईयत/ खन्डैत/खन्डैत/खन्डैयत/खैन्डेयत /खैन्डायत/ खंडयत/खंडाल)	Bagal/Khandwal (Khandwal/Khandual/Khundwad/ Khandait/Khandaeet/Khandaet/ Khandeit/Khandeiit/Khandait/ Khandayat/Khandaayat/ Khandaiyat/Khandeyat/ Khandaiyat/Khandwat/Khaindayat/ Khandal)
15	115	खैरा	Khaira
16	117	परघा/परिघा/पैरघा (परगहा(परिगाह)/ पलीआर/पलीयार)	Pargha/ Parigha/ Pairgha (Pargaha (Parigah) /Paliaar / Paliyar)
17	120	मड़ैया	Maraiya
18	121	कुलू/गोराई	Kulu/Gorai
19	122	सूड़ी, सूंडी/सूंडी चासा/ शुन्डीक वैश/शौन्डीक/ सुमंडल/मंडल	Sudi, Sundi/ Sundi Chasha /Shundik Vaishya/Shaundik/ Sumandal/Mandal
20	126	बियार	Biyar
21	127	वैश बनिया एवं एकादश बनिया	Vaishya Bania and Ekadash Bania

पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 2)			
22	6	ग्वाला (मुस्लिम)	Gwala (Muslim)
23	10	जदुपतिया	Jadupatia
24	11	गोसाई, गिरि–सन्यासी, अतित, अतिथ/अतीथ	Gosai, Giri-Sanyasi, Atit, Atith/Ateeth
25	17	परथा	Partha
26	20	बनिया (राकी एवं बियाहुत कलवार, जायसवाल/ जैशवार, कमलापुरी, वैश्य, बनिया, माहुरी, वैश्य, बंगी वैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, (पोद्दार, कसोधन), गंधबनिक/ गंधबनिया/ ओमर/उमर वैश्य/बनिया (बनवार)	Bania (Raki and Bihayut Kalwar, Jaiswal/Jaishwar, Kamlapuri, Vaishya, Bania, Mahuri, Vaishya, Bangi Vaishya (Bangali Baniya) Barnwal, (Poddar, Kasodhan), Gandhbanik/ Gandhbania /Omar/ Umar Vaishya /Bania (Banwar)
27	22	घासी, महाकुल/महकुर	Ghasi, Mahakul/Mahkur
28	29	सुवर्ण वनिक, अष्टलोहि कर्मकार, स्वर्णकार	Suwarnabanik, Astalohi Karmakar, Swarnkar/Swarnakar
29	30	सूत्रधार	Sutradhar
30	35	जसवार कुर्मी एवं चन्देल/चन्दऊ कुर्मी (जिनके पूर्वज बिहार से आकर बसे हैं)	Jaswar Kurmi and Chandel/Chandou (Ancestor of whom settled from Bihar)
31	36	राजभाट/ब्रहमभाट (ब्रहमभट) (हिन्दू)	Rajbhat/ Brahmbhat (Brahmbhat) (Hindu)
32	39	वैष्णव (विष्टम/वैष्टम)	Baishnav (Bishtam /Baishtam)
33	40	पाईक	Paik
34	42	चासा (धसियार)	Chasa (Chsiyar)
35	44	कयाली	Kayali
36	45	मलिक (मुस्लिम)	Malik (Muslim)

श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या:– अ०सू०–21 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के पटना सचिवालय के विभिन्न विभागों में करीब 14 साल से झारखण्ड के 14 आदिवासी प्रशाखा पदाधिकारी फंसे हुए है।	अस्वीकारात्मक। प्रश्नगत मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC संख्या–15075/2010 श्री श्रीकान्त गुड़िया एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में शामिल कुल 16 कर्मियों की सेवा झारखण्ड राज्य सम्वर्ग आवंटन से सम्बन्धित है। उल्लेखनीय है कि उक्त सभी 16 कर्मियों की नियुक्ति झारखण्ड राज्य गठन अर्थात 15.11.2000 के पश्चात् बिहार राज्य में सचिवालय सहायक के पद पर वर्ष 2002 में हुई है। इनका सम्वर्ग बिहार सचिवालय सेवा के अन्तर्गत है। इनका मामला बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा–72 के तहत सम्वर्ग विभाजन से अच्छादित नहीं है। अतएव उक्त सभी 16 कर्मियों के बिहार सरकार के पटना सचिवालय के विभिन्न विभागों में फँसे होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
2	क्या यह बात सही है कि पटना हाईकोर्ट के आदेश, केन्द्र सरकार और बिहार सरकार की सहमति के बाद भी इनकी सेवा झारखण्ड को स्थानान्तरित नहीं हो पा रही है।	अस्वीकारात्मक। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC संख्या–15075/2010 में पारित न्यायादेश में वादियों को बिहार सरकार के समक्ष अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया तथा उक्त अभ्यावेदन पर बिहार सरकार को केन्द्र एवं झारखण्ड सरकार से सम्पर्क स्थापित कर तार्किक आदेश (reasoned order) के माध्यम से अन्तिम निर्णय लेने का आदेश पारित किया गया है। पारित न्यायादेश के आलोक में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा पत्र संख्या–F.No.-26(C)/21/2010-SR(S) दिनांक–10.01.2019 में गृह विशेष विभाग, बिहार, पटना को झारखण्ड सरकार से सम्पर्क स्थापित कर निर्णय लेने का निदेश दिया गया है। तदुपरान्त माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में अन्तिम निर्णय लिये जाने के बिन्दु पर बिहार सरकार द्वारा पत्र संख्या–11555 दिनांक–26.12.2018 के माध्यम से उक्त 16 कर्मियों की सेवा झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थानान्तरण/आवंटन के बिन्दु पर सहमति/मंतव्य की माँग झारखण्ड सरकार से की गई। वर्णित है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा–72 में निम्नवत् प्रावधान है :– Every person, who immediately before the appointed day is serving in connection with the affairs of the existing State of Bihar shall, on and from that day provisionally continue to serve in connection with the affairs of the State of Bihar, unless he is required by general or special order of Central Government to serve provisionally in connection with the State of Jharkhand. वादीगणों के मामले के सदृश्य एक अन्य वाद CWJC संख्या–20259/2010 अभिराम मांझी एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय में

		निम्नवत् आदेश पारित करते हुए याचिका को खारिज किया गया है :– As a matter of fact, allocation of any Government servant of the State of Bihar who has been appointed after 15.11.2000 to the State of Jharkhand will be wholly impermissible in teeth of the provisions of the Bihar Reorganization Act, 2000. झारखण्ड सरकार द्वारा उपर्युक्त आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्रीकान्त गुडिया एवं अन्य वादीगणों की सेवा झारखण्ड राज्य में लिये जाने पर असहमति संसूचित करने का निर्णय लिया गया, जिसे विभागीय पत्रांक–6077 दिनांक–29.07.2019 द्वारा गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार, पटना को संसूचित की गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इनकी सेवा झारखण्ड राज्य में स्थानांतरित करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर की कंडिका–1 एवं 2 अस्वीकारात्मक है। अतएव प्रश्न नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक :– 7 / संसदीय कार्य–902 / 2020 का. 4694 / रांची, दिनांक 20/09/2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–1608 दिनांक–16.09.2020 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/2020
सरकार के अवर सचिव।

(24) 1004 19/09/2020

श्री सरयू राय, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–05 की उत्तर सामग्री –

क्रमांक	प्रश्नकर्ता श्री सरयू राय, माननीय सदस्य विधानसभा	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है, कि जमशेदपुर स्थित "टाटा कॉमिस " प्रबंधन द्वारा वहाँ के मजदूर यूनियन के महासचिव की अकारण बर्खास्तगी के विषय में उप श्रमायुक्त, जमशेदपुर द्वारा टाटा कॉमिस प्रबंधन को नोटिस दिया गया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। उप श्रमायुक्त, जमशेदपुर के पत्रांक–2573 दिनांक–18.09.2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि श्री अरूण कुमार सिंह, बर्खास्तगी के मामले में उप श्रमायुक्त, जमशेदपुर के स्तर पर अभी कार्रवाई जारी है।
2	क्या यह बात सही है, कि टाटा मोटर्स प्रबंधन द्वारा वहाँ के मजदूर यूनियन के महासचिव एवं कतिपय अन्य यूनियन पदाधिकारियों की अकारण बर्खास्तगी एवं वहाँ का मजदूर यूनियन विवाद का मामला श्रमायुक्त के समक्ष लंबित है;	टाटा मोटर्स प्रबंधन द्वारा वहाँ के मजदूर यूनियन के महासचिव, एवं अन्य कतिपय अन्य यूनियन के पदाधिकारियों की सेवा से बर्खास्तगी से संबंधित एकल औद्योगिक विवाद, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा– 2A के अन्तर्गत संबंधित क्षेत्र के श्रम न्यायालय में प्रभावित कामगार द्वारा सीधे दायर करने का प्रावधान है। अतः इससे संबंधित कोई भी औद्योगिक विवाद सम्प्रति श्रमायुक्त, झारखण्ड के समक्ष लम्बित नहीं है।
3	क्या यह बात सही है, कि जमशेदपुर की टाटा कॉमिस, टाटा मोटर्स एवं अन्य औद्योगिक इकाईयों में प्रबंधन एवं श्रमिकों के परस्पर संबंधों के परिप्रेक्ष्य में आचार संहिता बनाया है, जिनकी वैधानिकता की विधिक्षा झारखण्ड सरकार द्वारा नही किया गया है;	जमशेदपुर की टाटा कॉमिस, टाटा मोटर्स एवं अन्य औद्योगिक इकाईयों के प्रबंधन एवं श्रमिकों के परस्पर संबंधों के परिप्रेक्ष्य में आचार संहिता बनाए जाने अथवा इसकी वैधानिकता की विधिक्षा हेतु कोई आवेदन/प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं है।
	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार "टाटा कॉमिस" मजदूर यूनियन के बर्खास्त महासचिव एवं टाटा मोटर्स के मजदूर यूनियन के बर्खास्त पदाधिकारियों को पुनः बहाल करने तथा जमशेदपुर की औद्योगिक इकाईयों की आचार संहिताओं की विधिक्षा करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथोपरि उत्तर खण्ड–2 एवं 3 के अनुसार।

19/9/20

(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक–01/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–45/2018श्र0नि0 1064 राँची, दिनांक 19/09/2020

प्रतिलिपि अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं0–1598, दिनांक–16.09.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/9/20

सरकार के संयुक्त सचिव

F:\Sen\Rahul\Vidhan Sabha\03-45-2020.docx

दिनांक–21.09.2020 को माननीय स०वि०स० श्री नलिन सोरेन द्वारा सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–31

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि दुनका जिलान्तर्गत–प्रखण्ड शिकारीपाड़ा अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र है, तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा किसानी/खेती व मजदूरी है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि हतबाड़ी से ठाकुरन टोला होते हुए प्रासनबनी तक ग्रामीण पथ का निर्माण पथ का निर्माण नहीं कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है, कि उपर्युक्त शिकारीपाड़ा अन्तर्गत अगल–बगल 10–12 गाँव टोला अवस्थित है तथा ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय जिला मुख्यालय आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उपर्युक्त पथ का निर्माण कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मा०स०वि०स० की अनुशंसा उपरांत बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–280/2020 ग्रा०का०मा०.....1398.....राँची/दिनांक–19.09.2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, ज्ञा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1617, दिनांक–16.09.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.9.2020
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–280/2020 ग्रा०का०मा०.....1398.....राँची/दिनांक–19.09.2020

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19.9.2020
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–280/2020 ग्रा०का०मा०.....1398.....राँची/दिनांक–19.09.2020

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्यमामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19.9.2020
सरकार के अवर सचिव।

(26)

माननीय स०वि०स० श्री नारायण दास द्वारा द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पूछा जाने वाला प्रश्न अ०सू०-06 की सूचना से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि उपायुक्त-सह- जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर का पत्रांक-440/जि०पं० दिनांक 22.05.2020 के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, सरकार के आदेश सं०- 92 दिनांक 02.07.2020 द्वारा ग्राम पंचायत अंधरीगादर, प्रखण्ड देवघर के मुखिया द्वारा पंचायत कार्यकारिणी की बैठक किए बिना व्यक्तिगत लाभ के उदेश्य से 14वें वित्त आयोग के योजनाओं का क्रियान्वयन करा लिया गया;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि तत्कालीन उपायुक्त, देवघर द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, देवघर के पत्रांक 433 दिनांक 16.05.2020 द्वारा समर्पित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 23.04.2020 तथा 27.04.2020 को जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सहायक अभियंता, विशेष प्रमंडल, देवघर द्वारा ग्राम पंचायत अंधरीगादर, प्रखण्ड, देवघर में 14वें वित्त आयोग से संचालित योजनाओं का अभिलेखीय एवं स्थलीय जाँच की गयी थी, जिसमें अनियमितताएँ पायी गयी है;	स्वीकारात्मक।
(3) क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, सरकार के आदेश सं०- 92 दिनांक 02.07.2020 द्वारा अंधरीगादर ग्राम पंचायत के मुखिया को एक माह के अंदर अपना पक्ष रखने के लिए आदेश निर्गत किया गया था, लेकिन मुखिया द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया है;	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, देवघर के पत्रांक 440/जि०पं० दिनांक 22.05.2020 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, सरकार के आदेश सं०- 92 सहपठित ज्ञापांक 995 दिनांक 02.07.2020 द्वारा मुखिया को निलंबित किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अंधरीगादर ग्राम पंचायत के निलंबित मुखिया द्वारा दिनांक 10.07.2020 को अपना पक्ष/अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित आदेश के अनुशंसा के आलोक में आरोपी मुखिया को अविलम्ब निलंबित/पदच्यूत कराने का विचार रखती है, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	निलंबित मुखिया द्वारा दिनांक 10.07.2020 को समर्पित अभ्यावेदन/पक्ष के क्रम मे विभागीय पत्रांक 1058 दिनांक 13.07.2020 द्वारा उपायुक्त, देवघर से मंतव्य/प्रतिवेदन की मांग की गयी है, जो अबतक अप्राप्त है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांक :- 01 स्था (वि0)- 107/2020 ......1503......../, राँची, दिनांक :- 18.9.2020

प्रतिलिपि:- 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 1592 दिनांक 16.09.2020 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9

सरकार के उप सचिव।

कु०पु०ना०.

E:\sunita\Madhav sir Related\Vidhan Sabha Related\Question & Answer.docx

ज्ञापांक :— 01 स्था (वि0)— 107/2020 ......1503......../, राँची, दिनांक :— 18.9.2020

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

18/9/20
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :— 01 स्था (वि0)— 107/2020 ......1503......../, राँची, दिनांक :— 18.9.2020

प्रतिलिपिः— उप सचिव—सह—नोडल पदाधिकारी (OASYS), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/9/20
सरकार के उप सचिव।

सुमिता/18.09.2020

E:\sunita\Madhav sir Related\Vidhan Sabha Related\Question & Answer.docx

(27)

डॉ0 सरफराज अहमद, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–'अ0सू0–15' का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
संख्या–अ0सू0–15 क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिलान्तर्गत बेंगाबाद प्रखंड में चतरो रोड (स्टेट हाईवे रोड) जर्जर स्थिति में है ; 2. क्या यह बात सही है, कि उक्त पथ में कई जगह गड्ढा होने के कारण प्रतिदिन दूर्घटना होती रहती है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार जनहित में उक्त पथ की मरम्मति अविलम्ब करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में है। प्रश्नगत पथ का नाम– बेंगाबाद–चतरो पथ है। इसकी लंबाई–27.700 कि0मी0 है। पथ के उन्नयन हेतु गत वर्ष IRQP कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके अंतर्गत वर्तमान में कार्य प्रगति में है। माह नवंबर 2020 तक कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–08 / 2020 2245(5) राँची / दिनांक : 20/09/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1586 दिनांक 16.09.2020 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/2020

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री दीपक बिरूवा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–'अ0सू0–29' का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
संख्या:–अ0सू0–29, क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत चाईबासा बड़ी बाजार–सुकलसाई से हाटगम्हरिया तक जर्जर सड़क की मरम्मत और चाईबासा–जमशेदपुर सड़क के बीच राजनगर में क्षतिग्रस्त पुलिया–की निर्माण हेतु एल0एच0 के कार्यपालक अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया. 2. क्या यह बात सही है कि सड़क जर्जर होने एवं पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की वजह से अवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है . 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग उच्च पथ की जर्जर पथ व क्षतिग्रस्त पुलिया को लोकहित में अविलम्ब निर्माण कार्य चालू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	"चाईबासा बड़ीबाजार–सुकलसाई–हाटगम्हरिया" राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–75E (NH-75E) का पथांश है जो कि0मी0 143 से कि0मी0 176 के बीच अवस्थित है। इसके कि0मी0 116 से कि0मी0 176 (कुल लंबाई–60.00 कि0मी0) के "Widening to 2 lane with paved shoulder" का कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORT&H) के वर्ष 2020–21 के वार्षिक योजना में सम्मिलित है। इसके लिए DPR (Detailed Project Report) बनाने का कार्य प्रगति में है। DPR पर MORT&H के स्वीकृति के पश्चात् निविदा की कार्रवाई पूर्ण करते हुए कार्य कराया जायेगा। चाईबासा–जमशेदपुर पथ (NH-220) के बीच राजनगर में क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मति कार्य हेतु निविदा की जा चुकी है एवं कार्य का आवंटन किया जा चुका है। शीघ्र एकरारनामा संपादित कर कार्य करा ली जायेगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11– अ0सू0–11/2020 2248(S) राँची/दिनांक : 20/09/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1605 दिनांक 16.09.2020 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/9/2020
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(29)

श्री कमलेश कुमार सिंह माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – 02 की उत्तर सामग्री।

प्रश्न कर्ता – श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर–दाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में मनरेगा कर्मियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर केवल 01 वर्ष के लिये की गयी थी;	स्वीकारात्मक। मनरेगा कर्मियों के संविदा आधारित नियुक्ति हेतु नियुक्ति सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली, 2007 निर्गत एवं प्रवृत है। उक्त नियमावली में निहित प्रावधानों के आलोक में सृजित सभी पदों पर नियमानुसार प्रारंभिक चरण में एक वर्ष के लिये नियुक्ति की जाती है तत्पश्चात एक वर्ष के कालावधि पूर्ण होने के पूर्व नियुक्ति के लिये गठित नियुक्ति समिति के द्वारा ही उनके कार्यों की समीक्षा की जाती है। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष तक के लिये संविदा अवधि का विस्तार किया जाता है।
2. क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Civil appeal No.- 7423-7429/2018 (Arising out of SLP (Civil) No.- 19832-19838) नरेन्द्र कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, सरकार के पत्रांक – 4871 दिनांक 20.06.2019 के द्वारा सेवा नियमितिकरण के संबंध में अधिसूचना निर्गत करने के पश्चात भी मनरेगा कर्मियों की सेवा नियमितिकरण की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;	अस्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या – 4871 दिनांक 20.06.2019 के द्वारा झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितिकरण हेतु नियमावली बनाई गयी है। उक्त नियमावली का गठन अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमितिकरण से संबंधित है। जबकि मनरेगा अन्तर्गत पदाधिकारियों/कर्मियों की नियुक्ति योजना अन्तर्गत संविदा पर सृजित पदों के विरूद्ध नियमानुसार की जाती है जिससे मनरेगा अन्तर्गत नियुक्तियों को अनियमित नहीं माना जा सकता है एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की उक्त नियमावली मनरेगा कर्मियों पर लागू नहीं है इस संदर्भ में विभागीय कार्यालय आदेश – (N) 06 दिनांक 06.01.2020 के द्वारा आदेश निर्गत है। (प्रति संलग्न)
3. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या – 7124 दिनांक 30.09.2010 के द्वारा राज्य मनरेगा कोषांग के कर्मियों को वेतनमान एवं ग्रेड–पे दिया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य मनरेगा कोषांग अन्तर्गत संविदा आधारित नियुक्ति हेतु नियुक्ति सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली, 2010 निर्गत एवं प्रवृत है। उक्त नियमावली में उल्लेखित

	प्रावधानों के अनुसार सृजित सभी पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति की जाती है तथा संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों को नियमावली के अनुसार निर्धारित वेतनमान के प्रारम्भिक प्रक्रम पर एवं वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित छठा वेतनमान के आधार पर Fixed 113% महंगाई भत्ता की दर पर भुगतान किया जा रहा है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, मनरेगा कर्मियों को नियमितिकरण करने अथवा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत मनरेगा कर्मियों को भी राज्य मनरेगा कोषांग के कर्मियों के अनुरूप वेतनमान एवं ग्रेड-पे देने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में मनरेगा क्षेत्रीय कर्मियों के संविदा आधारित नियुक्ति हेतु नियुक्ति सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली, 2007 निर्गत एवं प्रवृत है। उक्त नियमावली के अनुसार संविदा पर पदाधिकारियों/कर्मियों की नियुक्ति की जाती है तथा संविदा पर नियुक्त कर्मियों के मासिक मानदेय का भुगतान मनरेगा अन्तर्गत संधारित 6% प्रशासनिक मद से की जाती है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या – 4011 दिनांक 18.08.2020 के द्वारा राज्य सरकार अन्तर्गत विभिन्न विभागों में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत कर्मियों के विभिन्न माँगों पर विचार हेतु विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उच्च स्तरीय समिति के द्वारा संविदा कर्मियों के सेवा शर्त/सेवा अवधि/ मानदेय सहित विभिन्न न्यायादेशों के आलोक में सेवा नियमितिकरण की संभावनाओं पर अपना सुझाव दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 13(B)–310/वि0 स0/2020/ग्रा0 वि0 –1139 राँची, दिनांक 18-9-2020

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 1590 दिनांक 16.09.20520 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.9.2020

(निशिलेश कुमार नीरज)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 13(B)–310/वि0 स0/2020/ग्रा0 वि0 – (N) 1139. राँची, दिनांक 18-9-2020

प्रतिलिपि – माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ अवर सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.9.2020

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

कार्यालय आदेश

क्र0ग्रा0वि0– 02–08(ग्रा0–स्था0)/ 2019/ ग्रा0 वि0(45)06   राँची, दिनांक 6-1-2020

मानानीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के वाद संख्या – W.P(S) No.- 6509/2018 श्री सुजीत सागर नायक एवं अन्य में दिनांक 12.09.2019 को पारित न्यायादेश जिसमें मनरेगा अन्तर्गत संविदा पर विगत 10 वर्षों से कार्यरत प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा सहायक एवं कम्प्यूटर सहायक के सेवा नियमितिकरण से संबंधित वाद में तार्किक आदेश पारित करने का निदेश प्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि मनरेगा के लिये निर्गत नियुक्ति, सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली, 2007 (संकल्प संख्या – 4729 दिनांक 04.06.2007) में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में मनरेगा कार्यों के सफल संचालन हेतु पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर कर्मियों की नियुक्ति की जाती है। उक्त नियमावली के अनुसार कर्मियों की नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर की जाती है। नियमावली की कंडिका 11 (क) में प्रावधान है कि – " *नियमावली के परिशिष्ट – I तथा II में उल्लेखित सभी पदों पर नियुक्तियाँ पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।*"

श्री सुजित सागर नायक एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति मनरेगा अन्तर्गत पूर्णतः संविदा के आधार पर की गयी है। नियमावली के अनुसार उक्त संविदा पर नियुक्त कर्मियों का नियमितिकरण का प्रावधान नहीं है।

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा झारखण्ड सरकार के अधिनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितिकरण नियमावली, 2015 निर्गत है तथा उक्त नियमावली में अधिसूचना संख्या – 4871 दिनांक 20.06.2019 द्वारा संशोधन किया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के आदेश के आलोक में नियमावली का गठन अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमितिकरण से संबंधित है जबकि प्रश्नगत मामले के आवेदक मनरेगा अन्तर्गत संविदा पर नियुक्त

एवं कार्यरत हैं। इनकी नियुक्ति को अनियमित नहीं माना जा सकता है। अतः यह मामला कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित नियमावली या इसी मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश से आच्छादित नहीं है।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में वादी का दावा अस्वीकृत किया जाता है।

6/1/20

(अविनाश कुमार)
सरकार के प्रधान
सचिव।

ज्ञापांक– 02–08(अरा0–स्था0)/ 2019/का0 वि0 (4) 20 राँची, दिनांक 6-1-2020

प्रतिलिपि – सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

6/1/20

सरकार के प्रधान
सचिव।

ज्ञापांक– 02–08(अरा0–स्था0)/ 2019/का0 वि0 (4) 20 राँची, दिनांक 6-1-2020

प्रतिलिपि – श्री सुजीत सागर नायक एवं अन्य, ग्राम – पोखरटोली, चर्च रोड, आदिवासी लेन, रोड नम्बर – 02, पोस्ट – हिनू, जिला – राँची – 834002 को सूचनार्थ प्रेषित।

6/1/20

सरकार के प्रधान
सचिव।

श्री दुलू महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–30 का उत्तर प्रतिवेदन :–

(30)

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बहुचर्चित निरसा गांजा तस्करी कांड प्लांट करने में धनबाद के तत्कालिन SSP कौशल किशोर की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी एवं CID जाँच चल रही है ;	इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि निरसा थाना काण्ड सं०–179/19, दिनांक–25.08.2019 धारा– 20(बी) (ii) (सी) एन०डी०पी०एस० एक्ट का अनुसंधान अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा किया जा रहा है। चूँकि उक्त काण्ड अनुसंधानान्तर्गत है। अतः अनुसंधान समाप्ति के पश्चात ही तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद श्री कौशल किशोर की भूमिका पर निर्णय लिया जा सकता है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त कांड के प्रारंभिक जाँच में यह बात सामने आई है कि SSP कौशल किशोर ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने कनीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ये साजिश रची थी ;	कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3	क्या यह बात सही है कि धनबाद के तत्कालीन SSP कौशल किशोर पर कोयला तस्करों को संरक्षण देने तथा पद का दुरूपयोग कर झूठे मामले दर्ज कराने का आरोप लगता रहा है परन्तु अपने पद के प्रभाव से जाँच प्रक्रिया को प्रभावित करते रहे है ;	कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार SSP कौशल किशोर को पद से निलंबित अथवा अवकाश देकर मामले की निष्पक्ष जाँच करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–14/वि०स०–02/2020–3542/ राँची, दिनांक– 20/09/2020ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1615, दिनांक–16.09.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–28 का प्रश्नोत्तर

(31)

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के अनुमंडलो के महत्वपूर्ण पदो में अनुमण्डल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी का घोर आभाव है, जिसे राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पदाधिकारियों को पदोन्नति दी जा रही है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । वर्तमान में अनुमण्डल पदाधिकारी का मात्र 02 पद रिक्त है। वस्तुस्थिति यह है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No. 3792/16 अमरेन्द्र कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाए जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा मई, 2019 एवं जून, 2019 में मूल कोटि के कुल– 67 अर्हक पदाधिकारियों को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 2019 एवं फरवरी, 2020 में मूल कोटि के दो अन्य पदाधिकारियों को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है। इसमें पूर्ववर्ती बिहार राज्य में नियुक्त वरीय बैच के कुल 04 पदाधिकारी, प्रथम बैच के 13 पदाधिकारी एवं द्वितीय बैच के 52 पदाधिकारी शामिल है।
2.	क्या यह बात सही है कि अधिसूचना सं० 4483 एवं 4484 दिनांक 07.06.2019 द्वारा मात्र 63 पदाधिकारियों को पदोन्नति दी गई है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । यह सही है कि विभागीय अधिसूचना सं० 4483 दिनांक 07.06.2020 एवं अधिसूचना सं० 4484 दिनांक 07.06.2020 द्वारा मूल कोटि के 63 पदाधिकारियों को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है। परंतु इसके अतिरिक्त विभागीय अधिसूचना सं० 4043 दिनांक 27.05.2020 द्वारा मूल कोटि के 04 अन्य पदाधिकारियों को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है। साथ ही दिसम्बर, 2019 एवं फरवरी, 2020 में मूल कोटि के दो अन्य पदाधिकारियों को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है। इस प्रकार वर्ष 2019 एवं 2020 में झा०प्र०से० के मूल कोटि के कुल 69 पदाधिकारियों को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदोन्नति से वंचित योग्य पदाधिकारियों को पदोन्नति देते हुए अनुमण्डल एवं जिला के उपर्युक्त महत्वपूर्ण रिक्त पदो पर पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों।	मूल कोटि के अन्य योग्य पदाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र प्रोन्नति देने एवं अनुमण्डल एवं जिलों के अन्य महत्वपूर्ण पदो पर पदस्थापित करने हेतु सरकार दृढ़ संकल्प है। विभागीय पत्रांक 3386 दिनांक 17.07.2020 द्वारा मूल कोटि के 396 पदाधिकारियों की निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची से अनुरोध किया गया है। सरकार प्रोन्नति हेतु वांछित सारी प्रक्रिया को पूरी करते हुए शेष बचे हुए पदाधिकारियों को प्रोन्नति देने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेगी।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 4/विधानसभा–08–03/2020 का. 4688 राँची, दिनांक 18 सितम्बर 2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०–1612 वि०स० दिनांक 16.09.2020 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9/20

(अनिल कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 4/विधानसभा–08–03/2020 का. 4688 राँची, दिनांक 18 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि–विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–11 तथा श्री चन्द्र भूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9/20

सरकार के उप सचिव

(32)

श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में होमगार्ड के जवान कई प्रकार के सरकारी लाभों से वंचित है जबकि वे अहर्निश अपनी सेवा देने में तत्पर रहते है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक–एल०/एच०जी०–2802/2015–9989/ पटना, दिनांक–08.11.2018 द्वारा वहाँ के होमगार्ड जवानों को कर्त्तव्य भत्ता/प्रशिक्षण भत्ता के रूप में प्रतिदिन–774/– रूपये का भुगतान किया जा रहा है साथ ही उनके लिए भविष्य निधि योजना 1952, कर्मचारी पेंशन योजना–1995 एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 भी लागू है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में झारखण्ड राज्य में होमगार्ड जवानों के पक्ष में भी बिहार सरकार के तर्ज पर वेतन सहित अन्य सुविधायें मुहैय्या करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No.-582/2017 अजय प्रसाद एवं अन्य के मामले में गृह रक्षकों को पुलिस कर्मियों को अनुमान्य मूल वेतन एवं अन्य भत्ते के अनुरूप कर्त्तव्य भत्ता देने का आदेश पारित किया गया है। उक्त न्यायादेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में L.P.A No.-272/2018 दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। वर्त्तमान में विभागीय संकल्प सं०–1257, दिनांक–08.03.2019 के आलोक में राज्य के गृह रक्षकों को दिनांक–01.04.2019 से कर्त्तव्य भत्ता/प्रशिक्षण भत्ता के रूप में प्रतिदिन 500/– रूपये का भुगतान किया जा रहा है। अन्य सुविधाएँ (भविष्य निधि योजना 1952, कर्मचारी पेंशन योजना–1995 एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976) दिये जाने के संबंध में सम्प्रति सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–07/वि०स०–08/2020–...3179.../ राँची, दिनांक– 20/09/2020 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1601, दिनांक–16.09.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Sandeep 2017\Sandeep Vidhansabha\Chandan ji\Questions (Monsoon) 20.doc P-4

(33)

1006
19/09/2020

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–21.09.2020 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–12 की उत्तर सामग्री

क्रमांक	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य विधानसभा	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है, कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण झारखण्ड राज्य में 10 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से वापस आये हैं, उनमें कुशल मजदूरों की संख्या– 1,25,000 है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण अन्य राज्यों से झारखण्ड राज्य में कुल 5,30,541 प्रवासी श्रमिक वापस आये हैं। इनमें से कुशल प्रवासी श्रमिकों की संख्या–1,09,223 है।
2.	क्या यह बात सही है, कि राज्य में कार्य के अभाव के कारण सभी कुशल मजदूर फिर से दूसरे राज्यों में जाना आरम्भ कर दिया है;	झारखण्ड राज्य से कुल 9,671 प्रवासी श्रमिक अन्य राज्यों में रोजगार के लिए गये हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उन सभी कुशल मजदूरों के हित में उद्योग स्थापित कर रोजगार मुहैया कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उद्यम स्थापना एवं रोजगार सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), Emergency Credit Loan Guarantee Scheme (ECLGS), मुद्रालोन, Standup India योजना अन्तर्गत बैंकों द्वारा उद्यम स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

19/9/20

(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक–01/श्र०नि०प्र०(वि०स०)–03–46/2018श्र०नि०–1006 राँची, दिनांक–19/09/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–1604 दिनांक–16.09.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/9/20

सरकार के संयुक्त सचिव

माननीय स०वि०स० श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता द्वारा द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पूछा जाने वाला अ०सू० प्रश्न संख्या– 18 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक संख्या– PR 142305 (Rural Devlopment) 16–17 दिनांक 12.06.2016 एवं पत्रांक 888 दिनांक 24.11.2016 के द्वारा पंचायत सचिवालय सहायकों की नियुक्ति की गयी थी;	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या– 1603 दिनांक 20.05.2016 द्वारा पंचायत स्वयंसेवकों का चयन किया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य यथा योजना बनाओं पारिवारिक सर्वेक्षण, पेंशन अंकेक्षण, राशन कार्ड, कृषि आर्शिवाद योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, BC–I BC-II को सर्वेक्षण कार्य आदि में योगदान देने पर भी सभी प्राकर के प्रोत्साहन राशि का भुगतान अबतक नहीं किया है;	अस्वीकारात्मक। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों से विभिन्न विभागों द्वारा पंचायत स्तर पर कार्य लिया जाता है। कार्य लिए जाने की स्थिति में प्रावधान के अनुसार कार्य लेने वाला विभाग प्रोत्साहन राशि का निर्धारण करता है तथा तदनुसार भुगतान करता है। पंचायत स्वयंसेवकों से लिए गये कार्य के विरूद्ध प्रोत्साहन राशि के भुगतान लंबित होने के संबंध में किसी भी विभाग से सूचना अप्राप्त है।
(3) क्या यह बात सही है कि सभी प्रकार के प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने से पंचायत स्वयंसेवकों के आश्रित परिवार भुखों मरने को विवश व आर्थिक कठिनाई झेल रहें है;	अस्वीकारात्मक।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों को सभी प्रकार के प्रोत्साहन राशि हटाकर उचित सम्मानजनक मानदेय देने, बकाया सभी प्रकार का मानदेय भुगतान करने, पंचायत भवन में एक कमरा का आवंटन, कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में नामित करने तथा पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का नाम परिर्वतन कर पंचायत सचिवालय सेवक करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय संकल्प संख्या– 1603 दिनांक 20.05.2016 में उचित मानदेय, कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में नामित करने, नाम परिवर्त्तन करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान के अनुरूप प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है । पंचायत भवन में एक कमरा व्यवस्थित करने हेतु विभाग से आदेश निर्गत है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0)– 106/2020 1506 /, राँची, दिनांक :– 19.9.2020

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 1595 दिनांक 16.09.2020 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9/20
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0)– 106/2020 1506 /, राँची, दिनांक :– 19.9.2020

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

19/9/20
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0)– 106/2020 1506 /, राँची, दिनांक :– 19.9.2020

प्रतिलिपि– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/9/20
सरकार के उप सचिव।

सुनिता/19.09.2020